## अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2004

### प्रतिभूति संव्यवहार कर नियम, 2004

का. आ. 1059(अ).— केन्द्रीय सरकार, वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की धारा 114 की उपधारा (2) के साथ पठित उसकी उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति संव्यवहार कर से संबंधित उक्त अधिनियम के अध्याय 7 के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

**संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।**

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रतिभूति संव्यवहार कर नियम, 2004 है ।

(2) ये 1 अक्तूबर, 2004 को प्रवृत्त होंगे ।

**परिभाषाएं ।**

2.(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 (2004 का 23) अभिप्रेत है ;

(ख) "प्राधिकृत बैंक" से ऐसा कोई बैंक अभिप्रेत है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया जाए ।

(ग) "प्ररूप" से इन नियमों के परिशिष्ट में वर्णित प्ररूप अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में या प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 या आयकर अधिनियम, 1961 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में है ।

**कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार का मूल्य ।**

3. अधिनियम की धारा 99 के खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए, कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार का मूल्य, जो किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में किया गया किसी कंपनी में किसी साधारण शेयर का अथवा साधारण शेयरोन्मुख निधि की यूनिट का क्रय या विक्रय है, निम्नलिखित रीति से अवधारित किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) जहां साधारण शेयर या यूनिट का, किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यापार के दिन शुद्ध निपटारे के ढंग से क्रय या विक्रय किया जाता है, -

(i) प्रत्येक ऐसे व्यापार का व्यापार मूल्य अवधारित करने के लिए उस दिन किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित उस साधारण शेयर या यूनिट में प्रत्येक व्यापार में क्रय किए गए या विक्रय किए गए साधारण शेयरों या यूनिटों में उस कीमत से गुणा किया जाएगा जिसपर व्यापार निष्पादित किया गया है ;

(ii) उस दिन उस व्यक्ति द्वारा साधारण शेयर या यूनिट में किए गए सभी व्यापारों का कुल व्यापार मूल्य उपखंड (i) के अधीन अवधारित व्यापार मूल्यों का योग करके निकाला जाएगा ;

(iii) उस व्यक्ति के लिए उस दिन उस साधारण शेयर या यूनिट की मात्रा पर आधारित औसत कीमत का अवधारण करने के लिए, उपखंड (ii) के अधीन निकाला गया कुल व्यापार मूल्य उस व्यक्ति द्वारा उस दिन व्यापार किए गए साधारण शेयर या यूनिट की कुल मात्रा द्वारा विभाजित किया जाएगा ;

(iv) ऐसी मात्रा आधारित औसत कीमत (निकटतम पैसे तक पूर्णांकित किया गया) साधारण शेयर या यूनिट से संबंधित कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार का मूल्य मानी जाएगी ।

**स्पष्टीकरण** - इस खंड के प्रयोजनों के लिए ऐसे मामले में जहां साधारण शेयर या यूनिट का स्टॉक एक्सचेंज के किसी सदस्य के माध्यम से क्रय किया जाता है या विक्रय किया जाता है, कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार के मूल्य का अवधारण उस सदस्य के माध्यम से किसी विशिष्ट ग्राहक कोड के अधीन साधारण शेयर या यूनिट में निष्पादित व्यापारों के प्रतिसंदर्भ से किया जाएगा ;

(ख) जहां साधारण शेयर या यूनिट का क्रय या विक्रय किसी व्यक्ति द्वारा व्यापार के लिए व्यापार निपटारे के ढंग में किया जाता है वहां कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार का मूल्य वह कीमत होगी जिसपर साधारण शेयर या यूनिट का क्रय या विक्रय किया जाता है ;

(ग) जहां साधारण शेयर या यूनिट का क्रय नीलामी द्वारा निपटान के ढंग से किया जाता है वहां कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार का मूल्य नीलामी सत्र में किए गए उस साधारण शेयर या यूनिट में सभी व्यापारों की बाबत खंड (क) में विनिर्दिष्ट रीति से अवधारित साधारण शेयर या यूनिट की मात्रा आधारित औसत कीमत होगी ;

(घ) जहां साधारण शेयर या यूनिट का विक्रय नीलामी द्वारा निपटान के ढंग से किया जाता है वहां कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार का मूल्य वह कीमत होगी जिसपर साधारण शेयर या यूनिट का विक्रय किया जाता है ।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(i) "शुद्ध निपटान का ढंग" से मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में संव्यवहारों के निपटान का ऐसा ढंग अभिप्रेत है जिसमें किसी व्यापार के दिन किसी व्यक्ति द्वारा क्रय किए गए किसी साधारण शेयर या यूनिट की मात्रा उस दिन उस व्यक्ति द्वारा विक्रय किए गए उस साधारण शेयर या यूनिट की मात्रा के बदले मुजरा की जाती है और उसके द्वारा केवल क्रय की गई या विक्रय की गई शुद्ध मात्रा की बाबत, यथास्थिति, परिदान किया जाना या लिया जाना अपेक्षित है ;

(ii) "व्यापार के लिए व्यापार के निपटान का ढंग" से किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में संव्यवहारों के निपटान का ऐसा ढंग अभिप्रेत है जहां प्रत्येक व्यापार का अनिवार्य रूप से वास्तविक परिदान द्वारा निपटाया जाना अपेक्षित है ;

(iii) "नीलामी द्वारा निपटान का ढंग" से किसी स्टॉक एक्सचेंज में ऐसे नीलामी सत्र में किए गए संव्यवहारों के निपटान का ढंग अभिप्रेत है जो ऐसा व्यापार सत्र है जिसमें स्टॉक एक्सचेंज साधारण शेयरों या यूनिटों का क्रय उसके द्वारा आरंभ की गई किसी निलामी की प्रक्रिया के माध्यम से करता है जिससे वहां संव्यवहारों का निपटान किया जा सके जहां ऐसे साधारण शेयरों या यूनिटों का जिनका परिदान किया जाना अपेक्षित था, परिदान करने में असफलता हुई है ।

**कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार के मूल्य, प्रतिभूति संव्यवहार कर, आदि का पूर्णांकित किया जाना ।**

4. अधिनियम के अध्याय 7 के उपबंधों के अधीन कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार के मूल्य और प्रतिभूति संव्यवहार कर की रकम, संदेय ब्याज और शास्ति तथा शोध्य प्रतिदाय की रकम को निकटतम रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए जहां ऐसी रकम में रुपए का ऐसा भाग है जिसमें पैसे भी हों, जहां ऐसा भाग पचास पैसे या उससे अधिक है वहां उसे बढ़ाकर एक रुपया कर दिया जाएगा और यदि ऐसा भाग पचास पैसे से कम है तो उसे छोड़ दिया जाएगा ।

**पारस्परिक निधि के मामले में प्रतिभूति संव्यवहार कर के संग्रहण और संदाय के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ।**

5. पारस्परिक निधि के मामले में, अधिनियम की धारा 100 की उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के अनुसार प्रतिभूति संव्यवहार कर के संग्रहण और संदाय के लिए उत्तरदायी व्यक्ति निधि का न्यासी होगा या उस न्यासी द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत ऐसा अन्य व्यक्ति होगा जो पारस्परिक निधि के क्रियाकलापों का प्रबंध कर रहा हो ।

**प्रतिभूति संव्यवहार कर का संदाय ।**

6. प्रत्येक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या, यथास्थिति, प्रत्येक पारस्परिक निधि का न्यासी या उस न्यासी द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत ऐसा अन्य व्यक्ति जो परस्पर निधि के क्रियाकलापों का प्रबंध कर रहा हो, जिससे धारा 100 के अधीन प्रतिभूति संव्यवहार कर का संग्रहण और संदाय करना अपेक्षित है, ऐसे कर की रकम का केन्द्रीय सरकार के खाते में, भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक की किसी शाखा में प्रतिभूति संग्रहण कर चालान के साथ उसे प्रेषित करके, संदाय करेगा ।

**करा‍धेय प्रतिभूति संव्यवहारों की** विवरणी

7.(1) अधिनियम की धारा 101 की उपधारा (1) के अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों की विवरणी,-

(क) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की दशा में, प्ररूप सं0 1 में होगी और उसमें उपदर्शित रीति से सत्यापित की जाएगी ;

(ख) पारस्परिक निधि की दशा में, प्ररूप सं0 2 में होगी और उसमें उपदर्शित रीति से सत्यापित की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) में वर्णित प्ररूप सं0 1 और प्ररूप सं0 2 की अनुसूचियों में दी जाने के लिए अपेक्षित विशिष्टियां कंप्यूटर के माध्यम से निम्नलिखित के अनुसार दी जाएंगी,-

(क) कंप्यूटर माध्यम निम्नलिखित विनिर्देशों के अनुरूप होगा :-

(i) 650एमबी क्षमता या उच्चतर क्षमता की सीडी रोम ; या

(ii) 4एमएम 2जीबी/4जीबी(90एम/120एम) डीएटी कार्टिज, या

(iii) डिजिटल वीडियो डिस्क ;

(ख) यदि अनुसूचियों से संबंधित डाटा की डाटा कंप्रेसन या बैकअप साफ्टवेयर यूटीलिटी का उपयोग करते हुए प्रति तैयार की जाती है तो उसके डिकंप्रेसन या रेस्टोरेसन के लिए तत्रूपी साफ्वेयर यूटीलिटी या प्रक्रिया भी दी जाएगी ;

(ग) विवरणी के साथ साफ और वायरसमुक्त डाटा के संबंध में एक प्रमाणपत्र दिया जाएगा ।

(3) पारस्परिक निधि की दशा में उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवरणी निधि के न्यासी द्वारा या उस न्यासी द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा दी जाएगी जो पारस्परिक निधि के क्रिया कलापों का प्रबंध कर रहा हो ।

(4) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार की विवरणी उस वित्तीय वर्ष के ठीक बाद की 30 जून को या उससे पूर्व दी जाएगी ।

**विवरणी पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ।**

8. अधिनियम की धारा 101 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित की जाएगी -

(क) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की दशा में,-

(i) जो एक कंपनी है, उसके प्रबंध निदेशक या किसी निदेशक द्वारा ;

(ii) किसी अन्य दशा में, उसके मुख्य अधिकारी द्वारा ।

(ख) पारस्परिक निधि की दशा में, न्यासी द्वारा या उस न्यासी द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जो पारस्परिक निधि के क्रियाकलापों का प्रबंध कर रहा हो ।

**कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार की विवरणी की मांग करने वाली सूचना में विनिर्दिष्ट की जाने वाली समय सीमा ।**

9. जहां निर्धारिती अधिनियम की धारा 101 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी नियम 7 के उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर देने में असफल रहता है वहां निर्धारण अधिकारी ऐसे व्यक्ति को एक सूचना जारी कर सकेगा जिसमें ऐसे व्यक्ति से उसे लागू नियम 7 में विहित प्ररूप में विवरणी जो उसमें उपदर्शित रीति से सत्यापित की जाएगी, सूचना की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर देने की अपेक्षा की जाएगी ।

**मांग की सूचना ।**

10. जहां अधिनियम के अध्याय 7 के उपबंधों के अधीन पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप कोई कर, ब्याज या शास्ति संदेय है वहां निर्धारण अधिकारी निर्धारिती पर प्ररूप सं0 3 में इस प्रकार संदेय राशि को विनिर्दिष्ट करते हुए मांग की सूचना की तामील करेगा ।

**उस व्यक्ति को, जिससे ऐसी रकम संगृहीत की गई थी, कर के प्रतिदाय के लिए विहित समय ।**

11. प्रत्येक निर्धारिती, यदि अधिनियम की धारा 102 की उपधारा (2) के अधीन निर्धारण पर उसे कोई रकम प्रतिदाय की जाती है, ऐसी रकम की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर, उस संबद्ध व्यक्ति को उसका प्रतिदाय करेगा जिससे उसका संग्रहण किया गया था ।

**आयकर आयुक्त (अपील) को अपील का प्ररूप ।**

12.(1) आयकर आयुक्त (अपील) को धारा 110 की उपधारा (1) के अधीन अपील प्ररूप सं0 4 में की जाएगी ।

(2) किसी निर्धारिती के संबंध में, उपनियम (1) द्वारा विहित अपील के प्ररूप, अपील के आधारों और उससे संलग्न सत्यापन के प्ररूप पर उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और सत्यापित किया जाएगा जो निर्धारिती को लागू नियम 8 के अधीन कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों की विवरणी पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत है ।

**अपील अधिकरण को अपील का प्ररूप ।**

13. अधिनियम की धारा 111 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अपील अधिकरण को अपील प्ररूप सं0 5 में की जाएगी और जहां अपील निर्धारिती द्वारा की जाती है वहां अपील के प्ररूप, अपील के आधारों और उस प्ररूप से संलग्न सत्यापन के प्ररूप पर नियम 8 में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

[अधिसूचना सं. 248/2004/फा. सं. 142/23/2004-टीपीएल]

शरत चन्द्र, निदेशक

उपाबंध

प्ररूप सं0 1

[प्रतिभूति संव्यवहार कर नियम, 2004 के नियम 7 देखें]

कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों की विवरण

मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज के लिए

एसटीटीएस - 1

मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज के लिए
•कृपया अनुदेशों का पालन करें
केवल स्पष्ट अक्षरों का उपयोग करें ।

पावती
केवल कार्यालय उपयोग के लिए

प्राप्ति सं.
तारीख
...............
........

प्राप्तकर्ता अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर

1. स्टॉक एक्सचेंज का नाम

2. स्टॉक एक्सचेंज का पता

3. स्थाई लेखा संख्या (पी एं एन)

4. वित्तीय वर्ष (उन संव्यवहारों से संबंधित, जिनके लिए रिपोर्ट किया गया है) - 

5. वार्ड/सर्किल/रेंज

6. कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों का मूल्य

| कोड* | (अनुसूची) | मूल्य (रुपए में) |
|---|---|---|
| 01. | (क[7]) | |
| 02. | (क[8]) | |
| 03. | (क[9]) | |
| 04. | (ख[8]) | |

| | | |
|---|---|---|
| 05. | ( ख[9]) | |
| योग | | |

7. कुल संगृहणीय प्रतिभूति संव्यवहार कर

| कोड* | (अनुसूची) | रकम ( रुपए में) |
|---|---|---|
| 01. | ( क[10]) | |
| 02. | ( क[11]) | |
| 03. | ( क[12]) | |
| 04. | ( ख[10]) | |
| 05. | ( ख[11]) | |
| कुल | | |

| | | ( अनुसूची) | |
|---|---|---|---|
| 8. | कुल संगृहीत प्रतिभूति संव्यवहार कर | ( ग[5]) | |
| 9. | कुल संदत्त प्रतिभूति संव्यवहार कर | (ग[6]) | |
| 10. | प्रतिभूति संव्यवहार कर संदेय/प्रतिदेय | (7-9) | |
| 11. | धारा 104 के अधीन संदेय ब्याज | ( ग[7]) | |
| 12. | संदत्त ब्याज | ( ग[8]) | |

## सत्यापन

मैं,.......................(पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में) पुत्र/पुत्री श्री.........................सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि इस विवरणी में दी गई जानकारी और इससे संलग्न अनुसूची मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास से सही और पूर्ण है और कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार का कुल मूल्य और उसमें दर्शित अन्य विशिष्टियां सत्यता से कथित की गई हैं और वित्त (सं.2),अधिनियम, 2004 के अध्याय 7 के उपबंधों और प्रतिभूति संव्यवहार कर नियम, 2004 के अनुसार हैं ।

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि ....................के रूप में इस विवरण को भरता है और मैं इस विवरणी को भरने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ ।

तारीख ________

स्थान________

( नाम और हस्ताक्षर)

**कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार की बाबत कोड**

| क्र.सं. | संव्यवहार की प्रकृति | कोड |
|---|---|---|
| 1. | किसी साधारण शेयरोन्मुख निधि की किसी कंपनी में या किसी यूनिट में किसी साधारण शेयर का क्रय जहां :-<br>(क) ऐसे क्रय का संव्यवहार किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में किया जाता है, और<br>(ख) ऐसे शेयर या यूनिट के क्रय के लिए संविदा का वास्तविक परिदान या ऐसे शेयर या यूनिट के अंतरण द्वारा निपटारा किया जाता है । | 01 |
| 2. | किसी साधारण शेयरोन्मुख निधि की किसी कंपनी में या किसी यूनिट में किसी साधारण शेयर का विक्रय जहां :-<br>(क) ऐसे विक्रय का संव्यवहार किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में किया जाता है ; और<br>(ख) ऐसे शेयर या यूनिट के विक्रय के लिए संविदा का वास्तविक परिदान या ऐसे शेयर या यूनिट के अंतरण द्वारा निपटारा किया जाता है । | 02 |
| 3. | किसी साधारण शेयरोन्मुख निधि का किसी कंपनी या किसी यूनिट में किसी साधारण शेयर का विक्रय जहां :-<br>(क) ऐसे विक्रय का संव्यवहार किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में किया जाता है, और<br>(ख) ऐसे शेयर या यूनिट के विक्रय के लिए संविदा का वास्तविक परिदान या ऐसे शेयर या यूनिट के अंतरण से भिन्न रूप में निपटारा किया जाता है । | 03 |
| 4. | "प्रतिभूति विकल्प" के होते हुए किसी व्युत्पन्न का विक्रय जहां ऐसे विक्रय का संव्यवहार किसी मान्यताप्राप्त एक्सचेंज में किया जाता है | 04 |
| 5. | "वायदे के सौदे" के होते हुए किसी व्युत्पन्न का विक्रय, जहां ऐसे विक्रय का संव्यवहार किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है । | 05 |

अनुसूची-क

| क्र0सं0 | स्टाक दलाल कोड | व्यापार करने वाले ग्राहक का कोड | ग्राहक का नाम | ग्राहक का स्थायी लेखा संख्यांक | ग्राहक का मापिन | कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों का मूल्य (रुपयों में) | | | संग्रहणीय प्रतिभूति संव्यवहार कर (रुपयों में) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | कोड 01 | कोड 02 | कोड 03 | कोड 01 | कोड 02 | कोड 03 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | कुल | | | | | | |

अनुसूची-ख

| क्र0सं0 | समाशोधन सदस्य का कोड | स्टाक दलाल कोड | व्यापार करने वाले ग्राहक का कोड | ग्राहक का नाम | ग्राहक का स्थायी लेखा संख्यांक | ग्राहक का मापिन | कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों का मूल्य (रुपयों में) | | संग्रहणीय योग्य प्रतिभूति संव्यवहार कर (रुपयों में) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | कोड 4 | कोड 5 | कोड 4 | कोड 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | कुल | | | | |

अनुसूची-ग

| मास | कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार कोड | मास के दौरान कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों का मूल्य | संग्रहणीय योग्य प्रतिभूति संव्यवहार कर (रुपयों में) | संगृहीत प्रतिभूति संव्यवहार कर (रुपयों में) | संदत्त प्रतिभूति संव्यवहार कर (रुपयों में) | धारा 104 के अधीन संदेय ब्याज (रुपयों में) | धारा 104 के अधीन संदत्त ब्याज (रुपयों में) | प्रतिभूति संव्यवहार कर/ धारा 104 के अधीन ब्याज के संदाय की विशिष्टियां | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | कर/ब्याज (रुपयों में) | बैंक शाखा का नाम | बैंक शाखा का बीएसआर कोड | जमा की तारीख | चालान का क्रम सं0 | रकम (रुपयों में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| योग | | | | | | | | | | | | योग | |

टिप्पण :

1. यह प्ररूप केवल किसी मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज द्वारा ही उपयोग में लाया जाएगा ।
2. अनुसूची क, ख और ग में अपेक्षित ब्यौरे नियम 7 में विनिर्दिष्ट कंप्यूटर के माध्यम से दिए जा सकेंगे ।
3. अनुसूची क और ख में अपेक्षित ब्यौरे यथास्थिति प्रत्येक स्टाक दलाल कोड और समाशोधन सदस्य कोड के लिए पृथक् रूप से दिए जा सकेंगे । ग्राहक का नाम, ग्राहक का स्थायी लेखा संख्यांक और मापिन जो उपलब्ध हों दिए जाएं ।
4. अनुसूची क में व्यापार करने वाले ग्राहक के कोड के ब्यौरे स्टाक एक्सचेंज द्वारा ऐसे स्टाक एक्सचेंजों की ओर से जो निपटान में शेयर या यूनिट को प्रदत्त करने में असफल रहे हैं, नीलामी सत्र के दौरान क्रय व्यवहारों के संबंध में देना आवश्यक नहीं होगा ।
5. अनुसूची ग में अपेक्षित ब्यौरे प्रत्येक प्रकार के संव्यवहार के लिए (कोड 01 से 05) प्रत्येक मास के लिए अलग-अलग दिए जाएंगे और प्रत्येक मास के लिए उप जोड़ भी दिए जाएं।

प्ररूप सं0 2

(प्रतिभूति संव्यवहार कर नियम, 2004 का नियम 7 देखें)

**कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार की विवरणी**

एसटीटीएस-2

पारस्परिक निधि के लिए

- कृपया अनुदेशों का पालन करें ।
- केवल स्पष्ट अक्षरों का उपयोग करें ।

| पावती<br>केवल कार्यालय के उपयोग के लिए<br><br>प्राप्ति सं. ......... तारीख ........<br><br>प्राप्तिकर्ता अधिकारी के मोहर और हस्ताक्षर |
|---|

1. पारस्परिक निधि का नाम

2. भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन पारस्परिक निधि के लिए न्यास विलेख के रजिस्ट्रीकरण की तारीख

3. न्यासियों के नाम और पते - अनुसूची- क

4. निधि के लिए आस्ति प्रबंधन कंपनी का नाम और पता

5. **निधि के** लिए आस्ति प्रबंधन कंपनी का स्थायी लेखा **संख्या (पी ए एन)**

6. **वित्तीय वर्ष (उन संव्यवहारों से संबंधित, जिनके लिए रिपोर्ट किया गया है)**

7. वार्ड/सर्कल/रेंज

8. **साधारण शेयरोन्मुख निधि की संख्या**

| | | (अनुसूची) | (रुपए में.) |
|---|---|---|---|
| 9. | **करावेय प्रतिभूति संव्यवहार का मूल्य** | (ख[7]) | |
| 10. | **कुल संगृहणीय प्रतिभूति संव्यवहार कर** | (ख[8]) | |
| 11. | **कुल संग्रहीत प्रतिभूति संव्यवहार कर** | (ग[6]) | |
| 12. | **कुल संदत्त प्रतिभूति संव्यवहार कर** | (ग[7]) | |
| 13. | **प्रतिभूति संव्यवहार कर संदेय/प्रतिदेय** | (10-12) | |
| 14. | **धारा 104 के अधीन संदेय ब्याज** | (ग[8]) | |
| 15 | **संदत्त ब्याज** | (ग[9]) | |

सत्यापन

मैं,........................(पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में) पुत्र/पुत्री श्री.........................सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि इस विवरणी में दी गई जानकारी और इससे संलग्न अनुसूची मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास से सही और पूर्ण है और कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार का कुल मूल्य और उसमें दर्शित अन्य विशिष्टियां सत्यता से कथित की गई हैं और वित्त (सं.2) अधिनियम, 2004 के अध्याय 7 के उपबंधों और प्रतिभूति संव्यवहार कर नियम, 2004 के अनुसार हैं ।

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि ....................के रूप में इस विवरण को भरा है और मैं इस विवरणी को भरने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ ।

तारीख ________

स्थान________

**(नाम और हस्ताक्षर)**

अनुसूची-क

| क्रम सं. | नाम | पता |
|---|---|---|
| | | |

अनुसूची-ख

| साधारण शेयरोन्मुख निधि का नाम | निधि का यूनिट ग्राहक कोड | उस व्यक्ति की फोलियो संख्या जिससे यूनिट खरीदी गई | उस व्यक्ति का नाम जिससे यूनिट खरीदी गई | उस व्यक्ति का स्थायी लेखा सं0 जिससे यूनिट खरीदी गई | उस व्यक्ति का मापिन जिससे यूनिट खरीदी गई | कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार का मूल्य ( रूपए में) | संगृहणीय प्रतिभूति संव्यवहार कर ( रूपए में) | संगृहीत प्रतिभूति संव्यवहार कर ( रूपए में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | योग | | | | | | |

अनुसूची-ग

| मास | साधारण शेयरोन्मुख निधि का नाम | निधि का यूनिट ग्राहक कोड | मास के दौरान कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार का मूल्य ( रूपए में) | संगृहणीय प्रतिभूति संव्यवहार कर ( रूपए में) | संग्रहीत प्रतिभूति संव्यवहार कर ( रूपए में) | संदत्त प्रतिभूति संव्यवहार कर ( रूपए में) | धारा 104 के अधीन संदेय ब्याज (रूपए में) | धारा 104 के अधीन संदत्त ब्याज (रूपए में) | प्रतिभूति संव्यवहार कर/ धारा 104 के अधीन ब्याज के संदाय की विशिष्टियां | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | कर/ब्याज (रूपए में) | बैंक शाखा का नाम | बैंक शाखा का बीएसआर कोड | जमा करने की तारीख | चालान की क्रम संख्या | रकम (रूपए में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | योग | | | | | | | | | | | योग | |

टिप्पणी :

1. इस प्ररूप का उपयोग केवल पारस्परिक निधि द्वारा किया जाएगा।
2. नियम 7 में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूची क, ख, ग, में अपेक्षित ब्यौरे कम्प्यूटर माध्यम से फाइल किए जा सकेंगे।
3. अनुसूची ख में अपेक्षित ब्यौरे पारस्परिक निधि द्वारा स्थापित प्रत्येक साधारण शेयरोन्मुख निधि के लिए अलग-अलग दिया जाएगा और प्रत्येक निधि का उप योग भी दिया जाएगा।
4. अनुसूची ग में अपेक्षित ब्यौरे पारस्परिक निधि द्वारा स्थापित प्रत्येक साधारण शेयरोन्मुख निधि के लिए प्रत्येक मास के लिए पृथक रूप से दिया जाए और प्रत्येक मास का उप योग भी दिया जाए।

प्ररूप सं. 3

[प्रतिभूति संव्यवहार कर नियम, 2004 का नियम 10 देखें]

मांग की सूचना

एसटीटीएस-3

प्रास्थिति ......................

स्थायी लेखा सं. ....................

सेवा में

....................................

....................................

....................................

1. आपको सूचित किया जाता है निर्धारण वर्ष ......................के लिए आपके द्वारा संदाय किए जाने के लिए ................रूपए की राशि, जिसके ब्यौरे पीछे दिए गए हैं, अवधारित की गई है ।

2. इस रकम का संदाय, इस सूचना की तामील की तारीख से 30............ दिन के भीतर.........स्थित किसी प्राधिकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक के प्रबंधक को किया जाना चाहिए । उपर्युक्त राशि के संदाय के लिए तीस दिन से कम की अवधि अनुज्ञात करने के लिए आयकर अपर आयुक्त/आयकर संयुक्त आयुक्त का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है । संदाय के प्रयोजनों के लिए एक चालान संलग्न है ।

3. यदि आप ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर के अन्दर रकम का संदाय नहीं करते हैं तो आप वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 की धारा 109 के साथ पठित आयकर अधिनियम की धारा 220(2) के अनुसार पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् आरम्भ होने वाली तारीख से प्रति मास या मास के भाग के लिए एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने के दायी होंगे ।

4. यदि आप कर की रकम का संदाय ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं करते हैं तो वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 की धारा 109 के साथ पठित आयकर अधिनियम की धारा 221 के अनुसार युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् आप पर शास्ति (जो बकाया कर की रकम के बराबर हो सकेगी) अधिरोपित की जा सकेगी ।

5. यदि आप रकम का संदाय ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं करते हैं तो वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 की धारा 109 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 222, धारा 227, धारा 229 और धारा 232 के अनुसार उसकी वसूली के लिए कार्यवाहियां की जाएंगी ।

6. यदि आप निर्धारण या शास्ति के विरूद्ध अपील करना चाहते हैं तो आप वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 के अध्याय 7 की धारा 110 के अधीन एक अपील, इस सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर नियम 12 में यथाविहित प्ररूप संख्या 4 में, जो उस प्ररूप में अधिकथित किए गए अनुसार सम्यक रूप से स्थापित और सत्यापित होगी, आयकर आयुक्त (अपील)............ को प्रस्तुत कर सकेंगे ।

7. वह रकम वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 के अध्याय 7 की धारा 110 के अधीन आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश के परिणामस्वरूप शोध्य हुई है । यदि आप पूर्वोक्त आदेश के विरुद्ध अपील करना चाहते हैं तो आप उक्त अधिनियम के अध्याय 7 की धारा 111 के अधीन एक अपील, इस आदेश की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर नियम 13 में यथाविहित प्ररूप संख्या 5 में, जो उस प्ररूप में अधिकथित किए गए अनुसार सम्यक रूप से स्टांपित और सत्यापित होगी, आयकर अपील अधिकरण ........................ को प्रस्तुत कर सकेंगे।

स्थान : ......................................

तारीख : ......................................

..............................................

निर्धारण अधिकारी

..............................................

पता

टिप्पण :

1. अनुपयुक्त पैराओं और शब्दों को काट दीजिए ।

2. यदि आप रकम का संदाय चैक द्वारा करना चाहते हैं तो चैक किसी प्राधिकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक के प्रबंधक के पक्ष में लिखा जाना चाहिए ।

3. यदि आप रकम के संदाय के लिए समय के विस्तार की मांग करना चाहते हैं या किस्तों में संदाय करने का प्रस्ताव करते हैं तो, यथास्थिति, ऐसे समय विस्तारण या किस्तों में संदाय करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन पैरा 2 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व निर्धारण अधिकारी को किया जाना चाहिए । उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त किसी अनुरोध पर आयकर अधिनियम की धारा 220(3) के विनिर्दिष्ट उपबंधों को ध्यान में रखते हुए विचार नहीं किया जाएगा ।

**प्ररूप सं. 4**

**एसटीटीएस-4**

**[प्रतिभूति संव्यवहार कर नियम, 2004 का नियम 12 देखें]**

**आयकर आयुक्त (अपील) को अपील**

**आयुक्त (अपील) का पदनाम**

***वर्ष 20 ............ - 20.............. का संख्यांक ................**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | अपीलार्थी का नाम और पता | |
| 2. | स्थायी लेखा संख्यांक | |
| 3. | वह वित्तीय वर्ष जिसके संबंध में अपील की गई है | |
| 4. | उस आदेश को पारित करने वाला निर्धारण अधिकारी, जिसके विरुद्ध अपील की गई है | |
| 5. | वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 के अध्याय 7 की वह धारा और उपधारा जिसके अधीन निर्धारण अधिकारी ने ऐसा आदेश पारित किया, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, और ऐसे आदेश की तारीख | |
| 6. | जहां अपील किसी निर्धारण या शास्ति से संबंधित है वहां मांग की सुसंगत सूचना की तामील की तारीख | |
| 7. | किसी अन्य मामले में, ऐसे आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, संसूचना की तामील की तारीख | |
| 8. | वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 के अध्याय 7 की वह धारा और उपधारा जिसके अधीन अपील की गई है | |

| | | |
|---|---|---|
| 9. | जहां अपीलार्थी द्वारा ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए, जिसके संबंध में अपील की गई है, विवरणी फाईल की गई है, वहां क्या ऐसे कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों के, जिनके संबंध में विवरणी दी गई है, मूल्य पर शोध्य करों का पूर्ण रूप से संदाय कर दिया गया है (यदि उत्तर हां में है तो संदाय की तारीख और संदत्त राशि के ब्यौरे दें) | |
| 10. | अपील में दावा किया गया अनुतोष | |
| 11. | ** जहां अपीलार्थी की दशा में किसी अन्य वित्तीय वर्ष के संबंध में कोई अपील किसी आयुक्त (अपील) के पास लंबित है, वहां निम्नलिखित के संबंध में ब्यौरे दें —<br>(क) वह आयुक्त (अपील), जिसके पास अपील लंबित है<br>(ख) वह वित्तीय वर्ष जिसके संबंध में अपील की गई है<br>(ग) उस आदेश को पारित करने वाला निर्धारण अधिकारी, जिसके विरूद्ध अपील की गई है<br>(घ) वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 के अध्याय 7 की वह धारा और उपधारा जिसके अधीन निर्धारण अधिकारी ने ऐसा आदेश पारित किया, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, और ऐसे आदेश की तारीख | |
| 12. | ऐसा पता जिसपर अपीलार्थी को सूचनाएं भेजी जा सकेंगी | |

..................
**हस्ताक्षर**
**(अपीलार्थी)**

तथ्यों का कथन
अपील का आधार

..................
हस्ताक्षर
(अपीलार्थी)

सत्यापन का प्ररूप

मैं,............................ अपीलार्थी, यह घोषणा करता हूं कि ऊपर किए गए कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है ।

स्थान..................

..........................
हस्ताक्षर

तारीख...................

..............................
अपीलार्थी की प्रास्थिति

टिप्पण :

1. अपील का प्ररूप, अपील के आधार और उससे संलग्न सत्यापन का प्ररूप किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति संव्यवहार नियम, 2004 के नियम 8 के उपबंधों के अनुसार हस्ताक्षरित किए जाएंगे ।
2. अपील का ज्ञापन, तथ्यों का कथन और अपील के आधार दो प्रतियों में होने चाहिए और इनके साथ ऐसे आदेश की, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, एक प्रति तथा मांग की सूचना, यदि कोई हो, की मूल प्रति संलग्न की जानी चाहिए ।
3. अनुपयुक्त शब्दों को काट दें ।
4. * ये विशिष्टियां आयुक्त (अपील) के कार्यालय में भरी जाएंगी ।

5. यदि इसमें दिया गया स्थान अपर्याप्त है तो इस प्रयोजन के लिए पृथक संलग्नकों का उपयोग किया जा सकेगा ।

6. ** यदि एक से अधिक वित्तीय वर्षों के संबंध में अपीलें लंबित हैं तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में पृथक विशिष्टियां दी जाएं ।

7. अपील के ज्ञापन के साथ एक हजार रूपए की फीस लगी होगी ।

8. यह फीस निर्धारण अधिकारी से चालान प्राप्त किए जाने के पश्चात् किसी प्राधिकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा में जमा की जानी चाहिए ।

प्ररूप सं. 5

एसटीटीएस-5

[प्रतिभूति संव्यवहार कर नियम, 2004 का नियम 13 देखें]

अपील अधिकरण को अपील का प्ररूप

आय कर अपील अधिकरण, ........................... के समक्ष

*वर्ष 20 ...............-20.......... का अपील संख्यांक ...............

................................... ...............................................

अपीलार्थी बनाम प्रत्यर्थी

| | | |
|---|---|---|
| 1. | वह राज्य जिसमें निर्धारण किया गया था | |
| 2. | वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 के अध्याय 7 की वह धारा जिसके अधीन ऐसा आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, पारित किया गया था | |
| 3. | उस आदेश को पारित करने वाला आयुक्त(अपील), जिसके विरूद्ध अपील की गई है | |
| 4. | वह वित्तीय वर्ष जिसके संबंध में अपील की गई है | |
| 5. | निर्धारिती द्वारा मद 4 में निर्दिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए संगणित कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों का घोषित किया गया कुल मूल्य | |
| 6. | निर्धारण अधिकारी द्वारा मद 4 में निर्दिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए यथा संगणित कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों का कुल मूल्य | |
| 7. | मूल आदेश को पारित करने वाला निर्धारण अधिकारी | |
| 8. | वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 के अध्याय 7 की वह धारा और जिसके अधीन निर्धारण अधिकारी ने आदेश पारित किया | |
| 9. | उस आदेश की संसूचना की तारीख, जिसके विरूद्ध अपील की गई है | |
| 10. | ऐसा पता जिसपर अपीलार्थी को सूचनाएं भेजी जा सकेंगी | |
| 11. | ऐसा पता जिसपर प्रत्यर्थी को सूचनाएं भेजी जा सकेंगी | |
| 12. | अपील में दावा किया गया अनुतोष | |

अपील का आधार

1. 2. 3. 4. आदि

.................... ..................

हस्ताक्षर

(अपीलार्थी)

हस्ताक्षर

(प्राधिकृत प्रतिनिधि, यदि कोई हो)

सत्यापन का प्ररूप

मैं ......................................अपीलार्थी, यह घोषणा करता हूं कि ऊपर किए गए कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

स्थान : ................................ ........................................

तारीख : ................................ हस्ताक्षर

टिप्पण :

1. अपील का ज्ञापन तीन प्रतियों में होना चाहिए और उसके साथ उस आदेश की, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, दो प्रतियां (जिनमें से कम से कम एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए), निर्धारण अधिकारी के सुसंगत आदेश की दो प्रतियां, प्रथम अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील के आधारों की दो प्रतियां, उक्त अपील प्राधिकारी के समक्ष फाइल किये गये तथ्यों के कथन की, यदि कोई हो, दो प्रतियां लगी होनी चाहिए ।

2. वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 के अध्याय 7 की धारा 111 के अधीन किसी निर्धारिती द्वारा किए जाने वाले अपील के ज्ञापन के साथ एक हजार रूपए की फीस लगी होनी चाहिए ।

यह सुझाव दिया जाता है कि यह फीस चालान प्राप्त किए जाने के पश्चात् किसी प्राधिकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा में जमा की जानी चाहिए और चालान की तीन प्रतियों को अपील के ज्ञापन के साथ अपील अधिकरण को भेजा जाना चाहिए । अपील अधिकरण चैकों, ड्राफ्टों, हुंडियों या अन्य परक्राम्य लिखतों को स्वीकार नहीं करेगा ।

3. अपील का ज्ञापन अंग्रेजी में लिखा जाना चाहिए या यदि अपील किसी ऐसे राज्य में अवस्थित किसी न्यायपीठ में फाइल की जाती है, जिसे अपील अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा आयकर (अपील अधिकरण) नियम, 1963 के नियम 5क के प्रयोजनों के लिए तत्समय अधिसूचित किया गया है, तब अपीलार्थी के विकल्प पर हिंदी में लिखी जानी चाहिए तथा उसमें बिना किसी तर्क या वर्णन के संक्षिप्त रूप से तथा सुभिन्न शीर्षों के अधीन अपील के आधारों का वर्णन किया जाना चाहिए और ऐसे आधारों को क्रमानुसार संख्यांकित किया जाना चाहिए ।

4. *अपील का संख्यांक और वर्ष अपील अधिकरण के कार्यालय में भरा जाएगा ।

5. ऐसे स्तम्भों को काट दें, जो लागू नहीं हों ।

6. यदि इसमें दिया गया स्थान अपर्याप्त है तो इस प्रयोजन के लिए पृथक संलग्नकों का उपयोग किया जा सकेगा ।